ikDdFku

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षा परिणामों की चर्चा की गई है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत डीम्ड सरकारी कम्पनियों को सम्मिलित करके) के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) से प्रमाणित लेखों की सी0ए0जी0 के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है और सी0ए0जी0 इस पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन को पूर्ण करते है। इसके साथ ही, इन कम्पनियों की सी0ए0जी0 द्वारा नमूना लेखापरीक्षा भी की जाती है।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों को सी0ए0जी0 द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो कि वर्ष 2013–14 के दौरान किये गये नमूना लेखा परीक्षा में संज्ञान में आए थे, साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये थे, परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की जा सकी थी; वर्ष 2013–14 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।